Dr. RANJEET KUMAR
Deptt. of History
H.D. Jain College, Ara.

M.A. Sem-II
CC-7, Unit-V

चम्पारण सत्याग्रह :- बिहार का चम्पारण जिला 1917 ई० में महात्मा गाँधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। इसी सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गाँधी "महात्मा गाँधी" के नाम से प्रसिद्ध हुए। चम्पारण सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। यह एक किसान विद्रोह था, ~~जो~~ बिहार के चम्पारण जिले के काश्तकारों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा अपनी जोत के 3/20 वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। 'इसे तीन कठिया' प्रणाली के रूप में जाना जाता था। किसानों को प्रत्येक बीघे पर तीन कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यतः करनी होती थी। इसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके कारण किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश था।

1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ ध्यान गाँधी जी का आकृष्ट कराया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया; जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए समिति के गठन की बात कही गई। मुरली भरहवा गाँव निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गाँधी जी चम्पारण पधारे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे तथा वहाँ से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी (चम्पारण) पहुँचे, एवं 16 अप्रैल 1917 को चम्पारण सत्याग्रह का बिगुल फूँका।

स्थानीय प्रशासन ने इनके आगमन तथा आचरण को गैर-कानूनी घोषित कर 18 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किंतु बाद में बिहार के तत्कालिन उप राज्यपाल एडवर्ड गेट ने गाँधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जाँच हेतु एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जो चम्पारण कमेटि कहलाई।

चम्पारण बिहार के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र का एक जिला; जो 18 वीं सदी के अंत से ही नील की खेती होती रही है। 1850 तक नील की खेती चीनी से भी आगे निकल

→

→ गई थी और चम्पारण में सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी।

- यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा तिनकठिया प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली में रैय्यत को अपनी जमीन के 3/20 वें हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी होती थी।
- इसके अलावा, 1900 के बाद बिहार में नील कारखानों में यूरोपियन सिंथेटिक नील से प्रतिस्पर्द्धा के कारण गिरावट शुरू हो गई। घाटे से बचने के लिए, बागान मालिकों ने किसानों के साथ अपने नील-उत्पादन अनुबंधों को रद्द करना शुरू कर दिया।

इस दायित्व से मुक्ति के लिए वे तावान यानि 100 रुपये प्रति बीघा तक का हर्जाना वसूलते थे। अगर रैय्यत नकद भुगतान करने में असमर्थ होते तो उन्हें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर हस्तलिखित नोट और बैंचक बॉड जारी किए जाते थे।